# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष– राधो महतो पिता स्व0 लोकनाथ महतो सा0सालेगुटू बगैरह।

सं0 08/2021

बनाम

द्वितीय पक्ष– रामदास महतो पिता स्व0 मोतीराम महतो बगैरह..

| दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी |
|---|---|
| उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 36/2021 दिनांक 07/01/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) राधो महतो पिता स्व0 लोकनाथ महतो (2) मंजीत महतो पिता दुखिया महतो (3) राजेश महतो पिता तिलक महतो सभी सा0 सालेगूटू थाना कामडारा बनाम द्वितीय पक्ष (1) रामदास महतो पिता स्व0 मोतीराम महतो (2) दुखनी देवी पति मतिराम महतो सा0 सालेगुटू थाना कामडारा जिला गुमला के बीच खाता सं0 249 प्लॉट सं0 27999 पर जबरजस्ती मकान बनाने को लेकर आपसी तनाव एवं विवाद संबंधी वाद को लेकर उभय पक्षो के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । <br><br> उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– <br><br> वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है साथ ही वाद के कार्रवाई की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। <br><br> लेखापित । <br><br> अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला) <br><br> अनुमण्डल दण्डाधिकारी <br> बसिया। | |

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.05 12:05:18 +05:30
Location: 192.168.1.2